



महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक १९]

मंगलवार, जून २, २०२६/ज्येष्ठ १२, शके १९४८

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २७ मई २०२६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. V OF 2026. AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOVERNMENT
SERVANTS REGULATION OF TRANSFER AND PREVENTION OF
DELAY IN DISCHARGE OF OFFICIAL DUTIES ACT, 2005.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ सन् २०२६।

महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में
विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण। **१.** (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

सन् २००६ का महा. २१ की धारा ४ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ की धारा ४ की,— सन् २००६ का महा. २१।

(क) उप-धारा (४) के,—

(एक) विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्न परन्तुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु जनगणना २०२७ से संबंधित चल रहे कार्यों के कारण वर्ष २०२६ में किये जानेवाले सरकारी कर्मचारियों के आम स्थानांतरण ३० जून २०२६ को या के पूर्व किये जाएँगे।”;

(दो) विद्यमान परन्तुक में, “परन्तु” शब्द के स्थान में “परन्तु आगे यह कि” शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४क) अपमार्जित की जायेगी।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५, (सन् २००६ का महा. २१) सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम के उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा ४ यह उपबंध करती है कि, सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण सामान्यतः वर्ष में केवल एक बार अप्रैल या मई महीने में किया जायेगा।

२. जनगणना २०२७ संपूर्ण भारत में आयोजित की जा रही है। जनगणना २०२७ का पहला चरण अर्थात् मकान सूचीकरण और आवास जनगणना महाराष्ट्र राज्य में १६ मई २०२६ से १४ जून २०२६ तक की जा रही है। भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जनगणना २०२७ के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों का स्थानान्तरण न करने का अनुरोध किया गया है। अतः जनगणना २०२७ के पहले चरण का सुचारु संचालन करने के लिए उपबंध करना इष्टकर समझा गया है कि, वर्ष २०२६ में किये जानेवाले सरकारी कर्मचारियों के सामान्य स्थानांतरण उक्त अधिनियम की धारा ४ में यथोचित संशोधन द्वारा ३० जून २०२६ को या के पूर्व कर दिए जाएं।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में विलंब की रोकथाम अधिनियम, २००५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

जिष्णु देव वर्मा,

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

मुंबई,

दिनांकित २७ मई २०२६।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

व्ही राधा,

सरकार के अपर मुख्यसचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

प्रभारी भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।